पावरग्रिड POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/लोक सूचना/2021/062 दिनांक : 08/09/2021

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385885, इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 26/08/2021 को प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क हेतु भेजे गए रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385885 को पावरग्रिड के वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार उल्लिखित कारणों की वजह से पोस्ट ऑफिस द्वारा नॉन-कैशेबल बताया गया है । इसलिए उक्त IPO की मूल प्रति आप को वापस लोटाइ जा रही है ।

कारण :- (1) Post Master Stamp Missing (2) Date of issue is not Visible
(3) Sign of Post Master missing

आप से अनुरोध है कि कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/- (दस रुपये), ***"पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"*** के नाम से एवं ***वडोदरा*** में देय, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप के द्वारा मांगी गयी जानकारी दी जा सके ।

Note : The date of registration of RTI will be on receipt of IPO / DD / Banker Cheque.

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
धन्यवाद सहित,

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक – (वित्त व लेखा) / (सतर्कता), प.क्षे.-II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-II

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

17/...

PAY TO ______________________________ को

इस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT ______________________________

के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Rhushi Jain
Flat No 502
Hitawala Tower
Near Celebration
Mall, Udaipur

इस लाइन के नीचे न लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

52F 385885

श्री नरेन्द्र
27/8/21

CPIO (ES-II)
26/8/21

प्रेषित कार्यवाही हेतु

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

1 कार्यालय का नाम--

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र--II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड-- 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता--

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र--II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड-- 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता--

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरडिया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता-- फ्लेट नम्बर 602, हिंतावाला टॉवर

सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष-- 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक-- 21.08.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क-- 10/--रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52F 385885

7 चाही गयी जानकारी का विवरण--

ए-- यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय मे सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर की राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु पोस्टल ऑर्डर को किस पोस्ट ऑफिस मे पेश किया गया इसकी जानकारी प्रदान करावे।

बी— उन नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे जिनके अनुसार आपके कार्यालय के कार्मिक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा मांगी जाने पर उन्हें देने से इन्कार किया जाता है।

8 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करें।

9 यह कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने "श्री एस.पी.गोयल बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एण्ड सीपीआईओ, लुधियाना अपील नम्बर सीआईसी/एटी/ ए/ 2007/00344, निर्णय दिनांक 13.06.2007 के मामले में निर्धारित किया है कि है कि फाईल दिखाने के लिये उसका नाम/नम्बर अपीलार्थी से पूछना सही नहीं है। विषय बताने पर फाईल का पता लगाने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का है।

10 यह कि माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर ने श्रीमती आजाद मेहता बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर अपील संख्या 2968/2009 निर्णय दिनांक 19.05.2010 के मामले में प्रतिपादित किया कि यदि बिन्दुवार सूचना/उत्तर प्रेषित नहीं किया जाए तो जानबूझकर सूचना से वंचित रखना माना जाएगा।

11 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प.क्षे-.II/लोक सूचना/2021/062 दिनांक : 13/09/2021

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

<u>विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।</u>

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.- 52F 385885 (संदर्भ के लिए संलग्न), इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 26/08/2021 को प्राप्त हुआ है । आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी का जवाब इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्मानुसार है ।

श्री पी. सी. गर्ग, अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लाट न-.54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-II

श्रीमती आरुषि जैन पत्नी हिमांशु चोरडिया की दिनांक 26/08/2021 को प्राप्त आरटीआई अर्जी जोकि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर की राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु पोस्टल ऑर्डर को किस पोस्ट ऑफिस में पेश किया गया - एवं बिन्दु 7बी की जानकारी के संदर्भ में मांगी गयी सूचना का जवाब निम्नलिखित है;

आरटीआई अर्जी	RTI का उत्तर
(1) दिनांक 26/08/2021 को प्राप्त RTI अर्जी :-	आप के द्वारा दी गयी वर्तमान RTI अर्जी की समीक्षा करते हुए इस कार्यालय द्वारा यह पाया गया है की जनवरी २०२१ से लेकर आज तक आप ने लगभग एक जैसे विषयों पर 9 (नौ) RTI अर्जियां दी हैं जिसका इस कार्यालय द्वारा यथोचित उत्तर दिया गया है। परंतु आप के द्वारा लगातार RTI अर्जीयों के सैलाब के कारण इस कार्यालय को सामान्य तोर पर कार्य निपटाने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपके द्वारा मांगी गयी अधिकतम सूचनाएं ऐतिहासिक प्रकृति की हैं अतः इस कार्यालय के अधिनिष्ठ कर्मचारियों का अधिकतम समय उस सूचना को जुटाने में ही व्यर्थ हो रहा है और आप के जैसे दूसरे सुचना अभिलाशियों को समय रहते सुचना प्रदान करने में कठिनाई एवं विलंब हो रहा है। इस कार्यालय ने यह भी पाया है कि आप के द्वारा मांगी गयी सुचना आप के निजी स्वार्थों के उपयोग के लिए है तथा बड़े जनहित के उपयोग के लिए नहीं है जैसाकि RTI एक्ट २००५ में परिकल्पित है। आदर्श रूप से आपको एक ही बार में सारी जानकारी मांगनी चाहिए थी। आप के द्वारा बार-बार RTI अर्जियां लगाने के कारण इस कार्यालय का अधिकतम कीमती समय जो की जनहित कार्यों में लग सकता था, अब आप के निजी स्वार्थ को संतुष्ट करने हेतु लग रहा है। जोकि आम करदाता पर एक बोझ बनता जा रहा है। अतः इस पत्र द्वारा आप को यह सूचित किया जा रहा है कि यह कार्यालय आप के द्वारा पारेषित किसी भी RTI अर्जी जो की आप के तलाक के केस की प्रतिपूर्ति के लिए होगा, का उत्तर नहीं दिया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि श्री हिमांशु चोरडिया अब पावरग्रिड में कार्यरत नहीं हें । चूंकि अब श्री हिमांशु चोरडिया POSOCO के कर्मचारी हें और इनके सारे दस्तावेज़ पावरग्रिड द्वार POSOCO को हस्तांतरि किए जा चुके हें । अतः आवेदक से सादर अनुरोध है की श्री हिमांशु चोरडिया के संदर्भ में किसिभी जानकारी हेतु निम्नलिखित पते के अनुसार POSOCO कार्यालय से संपर्क करें । Power System Operation Corporation Ltd., B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016.

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

ईएम(ईएसएम) उचित कार्यवाही हेतु

28/8/21

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

1 कार्यालय का नाम--

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र--II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड-- 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता--

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र--II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड-- 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता--

आरुषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता-- फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष-- 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक-- 21.08.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क-- 10/--रुपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52F 385835

7 चाही गयी जानकारी का विवरण--

ए-- यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर की राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु पोस्टल ऑर्डर को किस पोस्ट ऑफिस मे पेश किया गया इसकी जानकारी प्रदान करावे।

बी– उन नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे जिनके अनुसार आपके कार्यालय के कार्मिक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा मांगी जाने पर इन्हें देने से इन्कार किया जाता है।

8 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करे।

9 यह कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने "श्री एस.पी.गोयल. बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एण्ड सीपीआईओ, लुधियाना अपील नम्बर सीआईसी/एटी/ ए/ 2007/00344, निर्णय दिनांक 13.06.2007 के मामले में निर्धारित किया है कि है कि फाईल दिखाने के लिये उसका नाम/नम्बर अपीलार्थी से पूछना सही नहीं है। विषय बताने पर फाईल का पता लगाने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का है।

10 यह कि माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर ने श्रीमती आजाद मेहता बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर अपील संख्या 2963/2009 निर्णय दिनांक 19.05.2010 के मामले में प्रतिपादित किया कि यदि बिन्दुवार सूचना/उत्तर प्रेषित नहीं किया जाए तो जानबूझकर सूचना से वंचित रखना माना जाएगा।

11 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।